जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांकः- 10.11.2020

कोतवाली शामली

पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा हत्या के मामले में प्रभावी पैरवी कर हत्याभियुक्त को माननीय न्यायालय ADJ-10 मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की कठोर सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अवगत कराना है कि वर्ष 2013 में थाना क्षेत्र कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग हर्षित कुमार पुत्र संजीव कुमार निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली जनपद शामली उम्र करीब 12 वर्ष को अभियुक्त सुमित पुत्र स्व0 श्यामसिंह निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली जनपद शामली द्वारा गोली मार दी गई थी जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। घटना के संबंध में मृतक के चाचा अंजुल पुत्र हरवीर सिंह निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा दिनांक 09.10.2013 को थाने पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इस मामले में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके द्वारा हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल की बरामदगी करते हुए जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीस, कोर्ट-10 मु0नगर में उक्त मामले का विचारण हुआ। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में मॉनीटरिंग सेल को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये और विचारण के दौरान होने वाली प्रगति की जानकारी की जाती रही। गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कराते हुए गवाही संपन्न कराई। पुलिस अधीक्षक शामली के प्रयास से मॉनीटरिंग सेल की निरंतर एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर दिनांक 09.11.2020 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीस, कोर्ट-10 मु0नगर द्वारा अभियुक्त सुमित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अभियुक्त सुमित को हत्या के मामले में आजीवन कठोर कारावास एवं ₹20,000/- रूपये के अर्थदंड एवं हत्या के लिए प्रयोग किए गए अवैध असलाह रखने का दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कारावास व ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त को हुए सजा पर पीड़ित परिवार द्वारा संतोष व्यक्त किया गया है। पीडित परिवार ने अभियुक्त को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है।

थाना आदर्शमण्डी

खाई बाड़ी कर रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 420 रूपये नकद, पर्चा सट्टा, गत्ता पेन्सिल आदि बरामद

आज दिनांक 10.11.2020 को समय 13.20 बजे थाना कांधला पुलिस द्वारा शिव मन्दिर ग्राम कसेरवा कला से 01 अभियुक्त रक्षित उर्फ सिद्धार्थ पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम कसेरवा कला थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके विरूद्ध थाना आदर्शमण्डी पर मु0अ0सं0 333/2020 धारा 13 जी जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना गढीपुख्ता

खाई बाड़ी कर रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1480 रूपये नकद, पर्चा सट्टा, गत्ता पेन्सिल आदि बरामद

दिनांक 09.11.2020 को समय 14.30 बजे थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा ग्राम दुल्ला खेड़ी से 01 अभियुक्त नवीन उर्फ बुलेट पुत्र गोपीचन्द निवासी ग्राम दल्ला खेड़ी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके विरूद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 141/2020 धारा 13 जी जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा अवैध पटाखा बनाते फैक्ट्री पर की छापेमारी, भारी मात्रा में बने/अधबने पटाखे व बारूद बरामद, मौके से 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 10.11.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री नित्यानंद राय के आदेशानुसार आगामी दीपावली के दृष्टिगत अवैध पटाखे निर्माण/भण्डारण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर बरामदगी एवं गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर जन्नत कालोनी सलेमपुर रोड़ कांधला में अवैध पटाखा फैक्ट्री में छापेमारी कर, भारी मात्रा में बने/अधबने पटाखे व बारूद की बरामदगी कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पजींकृत कर आवश्याक वैधानिका कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1- शाहनवाज पुत्र जहूर निवासी मोहल्ला खेल थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- 28 गत्ते कार्टून पटाखे (प्रति कार्टून 12 पैकेट)

2- 06 आवाजी पटाखों से भरे प्लास्टिक के कट्टे

3- प्लास्टिक ट्रे (500 अधबने सुतली बम)

4- आतिशबाजी से भरे 75 कट्टे प्लास्टिक के (छोटे व बड़े)

5- 5 किग्रा तैयार बारूद (3 किग्रा बारूद रंग सिल्वर व 2 किग्रा बारूद रंग काला)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- उ0नि0 श्री राजकुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2- उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3- उ0नि0 गंगाप्रसाद थाना कांधला जनपद शामली।

4- का0 मुस्तकीम थाना कांधला जनपद शामली।

5- का0 कमल किशोर थाना कांधला जनपद शामली।

6- का0 दिग्विजय थाना कांधला जनपद शामली।

UP-112 GOOD WORK

मेरठ जोन में आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता में जनपद पुलिस का आरक्षी रहा प्रथम स्थान पर

दिनांक 08.11.2020 को नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन (NHRC) की ओर से जोन स्तर पर विषय “पुलिस बलों के बीच लिंग संवेदीकरण (GENDER SENSITIZATION) सफल पुलिस व्यवस्था की पूँजी है” पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन पुलिस विभाग द्वारा किया गया । इस प्रतियोगिता में जनपद का प्रतिनिधित्व करने हेतु दो सदस्यीय टीम पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा मेरठ भेजी गयी। मेरठ जोन के 08 जनपदों से कुल 17 प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। जनपद शामली के आरक्षी रिषी कुमार द्वारा उक्त शीर्षक के पक्ष में प्रतिभाग किया गया जिसे तीन सदस्यीय निर्णायक मण्डल द्वारा पक्ष में विचार रखे जाने पर प्रथम पुरस्कार विजेता घोषित किया गया, जिसके लिए उक्त आऱक्षी को 1000/- रूपये की नकद धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र निर्णायक मण्डल में शामिल ADJ मेरठ द्वारा प्रदान किया गया। आरक्षी रिषी कुमार को अब प्रदेश स्तर होने वाली प्रतियोगिता के लिये चुना गया है। आज दिनांक 10.11.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा आरक्षी को प्रशस्ति पत्र देकर जनपद पुलिस का नाम रोशन करने के लिये सम्मानित किया गया और अपेक्षा की कि लखनऊ में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा।

PRO CELL SHAMLI

<u>प्रेस नोट</u>

जनपद में संचालित यू0पी0-112 की पीआरवी 3656 ने आत्महत्या कर रही महिला की बचाई जान बनी "PRV OF THE DAY"

दिनांक 07.11.2020 को दोपहर करीब 14.30 बजे जनपद में संचालित UP-112 की PRV-3656 को सूचना मिली कि थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत एक महिला द्वारा खुद को कमरे में बन्द कर चुनरी से फन्दा बनाकर कमरे में लटक कर आत्महत्या का प्रयास किया गया है। कुछ ही मिनटों में PRV ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्यवाही करते हुए कमरे का दरवाजा तोड़कर चुनरी से लटकी हुई महिला को बेहोशी की हालत में नीचे उतारा और जिसकी सांसे धीर-2 चल रही थीं मौके पर ही PRV द्वारा चिकित्सक को बुलाकर उसका परीक्षण कराया चिकित्सक ने उपचार उपरान्त महिला को खतरे से बाहर होना बताया। इस प्रकार PRV द्वारा तत्परता से समयक कार्यवाही करते हुए एक महिला को मृत्यु के आगौश से न केवल बचाया बल्कि एक परिवार को विखरने से बचाया। आस-पास के क्षेत्रीय लोगों द्वारा PRV द्वारा किये गये पुनीत कार्य की चर्चा आम की जा रही है। PRV पर तैनात कमांडर अंकुर कुमार व पायलट नरेन्द्र कुमार को उक्त कृत्य के लिए PRV OF THE DAY के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है।

PRO CELL SHAMLI